



प्रेषक,

शेषनाथ,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ०प्र० लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6

लखनऊ : दिनांक 30 जून, 2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-2027 में राज्य योजना (ग्रामीण) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कार्यालय प्रमुख अभियंता, (सेतु विंग), लो०नि०वि०, लखनऊ के कतिपय पत्रांक (तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार राज्य योजना (सामान्य) के अनुदान सं०-57/83 के अंतर्गत वाराणसी क्षेत्र के कतिपय जनपदों के कुल 11 सेतुओं के चालू कार्य हेतु निम्नानुसार रू० 527.28 लाख (रूपये पांच करोड़ सत्ताइस लाख अट्ठाइस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू० लाख में)

क्र० सं०	कार्यालय मुख्य अभियंता (सेतु विंग) का पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्राविधिक/ बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	आवंटन धनराशि		
								अनुदान सं०-57	अनुदान सं०-83	योग (9+10)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	22930/CE-SEB/RVB/NS/2026-27 Dt- 19-06-2026	नि.ख.-3 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में विधानसभा मुहम्मदाबाद के ग्राम पंचायत राजापुर के निकट मंगई नदी पर क्षतिग्रस्त छलका पुल के स्थान पर लघु सेतु एवं पहुंच मार्ग के निर्माण का कार्य।	53/2026/आई/125 3436/2026/23-60 99/52/2026-दिनांक-27-02-2026	464.83 464.83 14.78 450.05	1.37	448.68	157.58	42.42	200.00
2	तदैव	नि.ख.-3 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में ग्रामसभा पाहुपुर एवं इटवा के मध्य 3x5x5 मी० बॉक्स कल्वर्ट एवं पहुंच मार्ग के निर्माण कार्य।	126/2026/आई/127 5382/2026/23-60 99/98/2026-दिनांक-21-03-2026	144.59 144.59 21.58 123.01	0.43	122.58	78.79	21.21	100.00
3	23065/CE-SEB/RVB/NS/2026-27 Dt- 23-06-2026	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गहमर शायर बरेजी राजमल सेवराई मार्ग के किमी-किमी-10(800) में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 1x6x3 मी० के बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण	308/2025/आई/1127 572/2025/001-23-6 099/177/2025-दिनांक-30-10-2025	99.21 99.21 2.23 96.98	29.61	67.37	39.40	10.60	50.00
4	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में एनएच-24 मतसा पीएमजीएसवाई गंगाघाट सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x4x4 मी स्थान के बाक्स कल्वर्ट के निर्माण का कार्य।	308/2025/आई/1127 572/2025/001-23-6 099/177/2025-दिनांक-30-10-2025	72.57 72.57 0.05 72.52	1.81	70.71	4.29	1.15	5.44
5	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में सोनहरिया असांव सम्पर्क मार्ग पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x3x3 मी० के बॉक्स कल्वर्ट का निर्माण	308/2025/आई/1127 572/2025/001-23-6 099/177/2025-दिनांक-30-10-2025	55.07 55.07 0.05 55.02	1.59	53.43	23.64	6.36	30.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

6	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गाजीपुर चोचकपुर मार्ग से गोसन्देपुर मार्ग के किमी. 6 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 2x2x 5 सेल के बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य	65/2026/आई/1259 752/2026/23-6099 /71/2026 -दिनांक-09-03-2026	55.49 55.49 12.53 42.96	2.10	40.86	19.70	5.30	25.00
7	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में नन्दगंज शादियाबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी-9 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3X6X6 मी0 स्पान बाक्स कलवर्ट एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य	84/2026/आई/1265 215/2026/23-6099/ 100/2026- दिनांक- 13-03-2026	182.76 182.76 19.16 163.60	4.41	159.19	9.45	2.55	12.00
8	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में नन्दगंज शादियाबाद मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी-13 में क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3X6X6 मी0 स्पान बाक्स कलवर्ट एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य	84/2026/आई/1265 215/2026/23-6099/ 100/2026- दिनांक-13-03-2026	183.60 183.60 40.50 143.10	4.54	138.56	7.88	2.12	10.00
9	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में गाजीपुर चोचकपुर मार्ग (अन्य जिला मार्ग) के किमी-7 में गागी नदी पर क्षतिग्रस्त पुलिया के स्थान पर 3x6x6 मी0 स्पान बाक्स कलवर्ट का निर्माण कार्य	126/2026/आई/1275 382/2026/23-6099 /98/2026-दिनांक 21 -03-2026	235.15 235.15 1.79 233.36	6.03	227.33	13.67	3.68	17.35
10	तदैव	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में हसनपुर से नसीरपुर सम्पर्क मार्ग पर नसीरपुर नरवां पर लघु सेतु एवं पहुँच मार्ग के निर्माण कार्य।	126/2026/आई/1275 382/2026/23-6099 /98/2026 -दिनांक 21-03-2026	99.06 99.06 11.94 87.12	2.81	84.31	6.30	1.70	8.00
11	तदैव	प्रा.ख. चंदौली	जनपद चन्दौली में धानापुर ओदरा गोरपुर वाया कुसुम्ही रसूलपुर सम्पर्क मार्ग पर लघु सेतु के निर्माण कार्य।	53/2026/आई/1253 436/2026/23-6099 /52/2026 दिनांक 27-02-2026	86.95 86.95 0.12 86.83	13.00	73.83	54.75	14.74	69.49
कुल योग								415.45	111.83	527.28

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।
- (2) राज्य योजनान्तर्गत निर्माणाधीन सेतु की गुणवत्ता एवं निर्माण की प्रगति की नियमित समीक्षा कर निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण किया जाय तथा समीक्षा रिपोर्ट नियमित रूप से उपलब्ध करायी जाय।
- (3) उक्त सेतु के अंश, लोक निर्माण अंश में अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष पृथक-पृथक वित्तीय प्रगति सहित वास्तविक भौतिक प्रगति तथा उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं उनके स्थलीय फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।
- (4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (5) उक्त तालिका अंकित मूल स्वीकृति के शासनादेशों में उल्लिखित शर्तें व प्रतिबंध आदि यथावत लागू रहेंगी।
- (6) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(7) यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव व सूचनाओं में कोई विसंगति/त्रुटि पायी जाती है, तो इसके लिए मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारी पूर्णरूपेण उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त मुख्यालय/निगम/क्षेत्र के संबंधित अधिकारियों द्वारा यदि किसी प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है अथवा व्यपगत धनराशि को चालू कार्य के रूप में स्वीकृत करा लिया जाता है, तो उनके विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही यथापेक्षित धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(8) चालू कार्य की अवशेष धनराशि इस शर्त के अधीन है कि यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि अवमुक्त की जा रही धनराशि पूर्व में अवमुक्त नहीं हुई है। यदि कोई विसंगति/द्विरावृत्ति पायी जाती है तो शासन को तत्काल सूचित किया जायेगा। वर्तमान आबंटन के आधार पर लागत में सम्मिलित अनुरक्षण की धनराशि को व्यय नहीं किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय (1) रुपये 4,15,45,000 (रुपये चार करोड़ पन्द्रह लाख पैंतालीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 057 लेखा शीर्षक 5054041010421 कृषि विपणन सुविधा हेतु ग्रामीण सेतु निर्माण कार्य (चालू योजना) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य (2) रुपये 1,11,83,000 (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख तिरासी हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक मे अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 5054047891400 कृषि विपणन सुविधाओं हेतु ग्रामीण सेतुओं का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(शेषनाथ)

विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

- (1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।
- (3) संबंधित मण्डलायुक्त/संबंधित जिलाधिकारी ।
- (4) संबंधित मुख्य अभियंता, लोक निर्माण विभाग ।
- (5) वित्त नियन्त्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य सेतु निगम लिमिटेड, लखनऊ।
- (7) संबंधित कोषाधिकारी।
- (8) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8।
- (9) राज्य योजना आयोग अनुभाग-1/2 ।
- (10) नोडल अधिकारी, बजट अलाटमेंट, लोक निर्माण विभाग ।
- (11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(सुबास राम)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।